

राष्ट्रीय आवास बैंक की आन्तरिक हिंदी पत्रिका "आवास भारती" के तिमाही एवं विशेषांक के लेआउट, डिजाइनिंग, मुद्रण एवं वितरण के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)



राजभाषा विभाग  
राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर 5-ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

अप्रैल 2022

**बोली विवरण**

1.	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	27 मई, 2022 शाम 05:00 बजे
2.	तकनीकी बोली मूल्यांकन/प्रस्तुति	राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) को प्रस्तुत तकनीकी बोली पर प्रस्तुति देने के लिए विक्रेताओं को दिनांक एवं समय की सूचना दी जाएगी। विक्रेताओं को नई दिल्ली में रा.आ.बैंक के प्रधान कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस या भौतिक उपस्थिति के माध्यम से ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
3.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तय किया जाएगा, और भाग लेने वाले बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।
4.	वित्तीय बोली खोलने की तिथि एवं समय	तकनीकी बोली मूल्यांकन के पूरा होने के बाद, रा.आ.बैंक द्वारा निर्णय लिया जाएगा। केवल शॉर्टलिस्ट किए गए विक्रेताओं हेतु लागू।
5.	संपर्क व्यक्ति का विवरण	श्री शोभित त्रिपाठी, सहायक प्रबंधक राष्ट्रीय आवास बैंक कोर 5-ए, भारत पर्यावास केंद्र लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003 मोबाइल नं. - +91 9205132563 ईमेल – <a href="mailto:Shobhit.tripathi@nhb.org.in">Shobhit.tripathi@nhb.org.in</a>
6.	बोलियां खोलने का स्थान	ऑनलाइन माध्यम से (या) राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5-ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
7.	विक्रेता का प्राधिकृत वैयक्तिक विवरण	विक्रेता का नाम: प्राधिकृत व्यक्ति का नाम: प्राधिकरण दस्तावेज संदर्भ: ईमेल और मोबाइल नंबर सहित प्राधिकृत व्यक्ति का पदनाम और संपर्क विवरण:

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (“अधिनियम”) के तहत की गई है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की गई है:

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों की निगरानी करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति कर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है और इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, इसके पांच क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी और लखनऊ में स्थित हैं।

## 1. उद्देश्य

राष्ट्रीय आवास बैंक (इसके बाद "रा.आ.बैंक" के रूप में संदर्भित) प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली, ने रा.आ.बैंक की आंतरिक पत्रिका "आवास भारती" के लेआउट, डिजाइनिंग, मुद्रण एवं डिलीवरी हेतु पात्र बोलीदाताओं (जिनके कार्यालय दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हैं) से बोलियों की मांग की है।

## 2. कार्य-क्षेत्र

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

### 3. बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

### 4. बोली की लागत

बोलीदाता बोली को तैयार करने और जमा करने से संबंधित हानि सहित सभी लागतों को वहन करेगा और रा.आ.बैंक किसी भी मामले में बोली प्रक्रिया के संचालन या परिणाम की परवाह किए बिना लागत या हानि हेतु जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

### 5. बोली दस्तावेज

बोलीदाता से अपेक्षित है कि वह बोली और संबंधित दस्तावेजों में सभी निर्देशों, प्रपत्रों, नियमों एवं शर्तों और तकनीकी विशिष्टताओं की जांच करें एवं रा.आ.बैंक को बोलियां जमा करने से पहले स्वयं भी सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक चेक कर लें। हर तरह से बोली दस्तावेज के प्रति उत्तरदायी नहीं होने वाली बोली प्रस्तुत करना बोलीदाता के जोखिम पर होगा एवं इसके परिणामस्वरूप बोलीदाता को आगे कोई संदर्भ दिए बिना बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

### 6. बोली दस्तावेजों में संशोधन

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय से पहले किसी भी समय, रा.आ.बैंक, किसी भी कारण से, रा.आ.बैंक के विवेकाधिकार पर, संशोधनों द्वारा, बोली दस्तावेज को संशोधित कर सकता है। सभी संशोधन रा.आ.बैंक की वेबसाइट ([www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in)) पर अपलोड किए जाएंगे।

संभावित बोलीदाताओं को उनकी बोली तैयार करने में संशोधन/यदि कोई संशोधन का संज्ञान लेने के लिए उचित समय प्रदान करने हेतु, राष्ट्रीय आवास बैंक अपने विवेक पर, आवश्यक समझी जाने वाली बोलियों को जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।

### 7. वैधता की अवधि

बोलियां 15 अक्टूबर, 2022 तक या विशेष रूप से रा.आ.बैंक द्वारा सूचित किए जाने तक वैध रहेंगी। कम अवधि हेतु वैध बोली को गैर-उत्तरदायी के रूप में रा.आ.बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

## 8. बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रूप में कोट की जाएगी।

## 9. बोली प्रक्रिया

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

## 10. बोलियों का प्रस्तुतीकरण

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

## 11. बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय

बोलीदाताओं से बोलियां प्राप्त की जानी चाहिए तथा रा.आ.बैंक में मुहरबंद और ऊपर लिखे लिफाफों में भौतिक प्रतियां बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट तिथि एवं समय पर या उससे पहले या खंड 6 के अनुसार रा.आ.बैंक द्वारा विस्तारित रूप में प्राप्त की जानी चाहिए। बोली प्रस्तुत करने की विनिर्दिष्ट तिथि को राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए अवकाश घोषित होने की स्थिति में, बोलियां अगले कार्य दिवस पर नियत समय तक प्राप्त की जाएंगी।

## 12. बोली प्रक्रिया के लिए समय सीमा निम्नानुसार है:

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

## 13. विलंब से प्राप्त बोलियां

प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद रा.आ.बैंक द्वारा प्राप्त बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

## 14. संशोधन एवं/या बोलियों को वापस लेना

- एक बार प्रस्तुत की गई बोलियों को अंतिम माना जाएगा एवं इस मामले में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- बोलियां जमा करने के बाद कोई बोली संशोधित नहीं की जाएगी।
- प्रस्तुत बोली को रा.आ.बैंक द्वारा आहरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**15. बोली खोलना एवं मूल्यांकन**

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

**16. तकनीकी बोली मूल्यांकन**

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

**17. वित्तीय बोली मूल्यांकन**

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

**18. अंतिम मूल्यांकन**

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

**19. बोलियों के लिए प्राथमिकता**

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

**20. चयन मानदंड**

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

**21. बोलियों पर स्पष्टीकरण**

जांच, मूल्यांकन और बोलियों की तुलना में सहायता करने के लिए रा.आ.बैंक अपने विवेक से बोलीदाता से स्पष्टीकरण एवं लिखित में प्रतिक्रिया मांग सकता है। यदि बोलीदाता ने विनिर्दिष्ट समय के भीतर लिखित रूप में स्पष्टीकरण एवं प्रतिक्रिया प्रदान नहीं की है, तो रा.आ.बैंक को बोली को अस्वीकार करने का अधिकार है।

## 22. रा.आ.बैंक के कर्मियों हेतु अनौपचारिक दृष्टिकोण

बोलीदाता द्वारा बोली मूल्यांकन, बोली तुलना, या अनुबंध पूर्ण निर्णय में रा.आ.बैंक को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप बोलीदाता की बोली को अस्वीकार कर दिया जा सकता है। रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम और बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

## 23. किसी भी बोली या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का रा.आ.बैंक का अधिकार कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

## 24. समाप्ति, अर्थदंड खंड

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

## 25. संपत्ति पर प्रतिलिप्याधिकार

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

## 26. अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

## 27. स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम)

इस आरएफपी के प्रयोजन के लिए नियुक्त आईईएम का विवरण निम्नानुसार है:

1. श्री लव वर्मा, आईएस (सेवानिवृत्त), ईमेल आईडी.: [lov\\_56@yahoo.com](mailto:lov_56@yahoo.com)
2. श्री एच. के. दास, आईएस (सेवानिवृत्त), ईमेल आईडी: [hkdash184@hotmail.com](mailto:hkdash184@hotmail.com)

## 28. कर

रा.आ.बैंक द्वारा लागू सेवा की अवधि के दौरान प्रचलित सांविधिक दरों के अनुसार वास्तविक आधार पर लागू करों का भुगतान किया जाएगा। रा.आ.बैंक स्रोत पर उपर्युक्त कर कटौती करने हेतु प्राधिकृत है जो विक्रेता को किए गए भुगतान के संबंध में लागू कानून/नियमों के अनुसार आवश्यक हो।

## 29. कानूनों का अनुपालन

विक्रेता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं रा.आ.बैंक/एसपीवी, जैसा भी मामला हो, को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक, जैसा भी मामला हो एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

विक्रेता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना/संविदा की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक/एसपीवी, जैसा भी मामला हो, एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा और रा.आ.बैंक/एसपीवी सलाहकार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

यदि रा.आ.बैंक, जैसा भी मामला हो, विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत वेंडर के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## 30 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदिनिविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती हैतो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

(क) यदि ऐसा विवरण निविदा चरण में पाया जाता है, तो निविदा/बोली को संक्षिप्त रूप में अस्वीकृत कर दी जाएगी।

(ख) यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक, जैसा भी मामला हो, अपने विवेक पर संविदा की

समाप्ति हेतु आरएफपी में दी गई उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

**31. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध:**

- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।  
यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं (यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिस देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।
- बोलीदाता को **अनुलग्नक V** में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
- इस खंड के प्रयोजन हेतु:

**क)** बोलीदाता" (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'सलाहकार' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों का संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है।

**ख)** इस आदेश के उद्देश्य हेतु "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता" का अर्थ: -

- (i) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्था; या
- (ii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत सहायक कंपनी या संस्था; या
- (iii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वास्तव में नियंत्रित की गयी संस्था; या
- (iv) संस्था जिसका लाभकारी मालिक देश में स्थित है; या
- (v) संस्था का भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
- (vi) साधारण व्यक्ति जो देश का नागरिक है; या
- (vii) सहायता संघ या संयुक्त उद्यम जहां सहायता संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

ग) उपर्युक्त (ख) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा।

i. कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

"स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

"नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;

ii. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसके पास साझेदारी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ की हकदारी का स्वामित्व है;

iii. अनिगमित संघ या वैयक्तिकों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संघ या वैयक्तिकों के निकाय की संपत्ति या पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

iv. जहां किसी भी साधारण व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त (i) या (ii) या (iii) में नहीं की गयी है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक साधारण व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद ग्रहण करता है;

v. न्यास के मामले में, लाभकारी मालिक की पहचान में न्यास के प्रणेता, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज के साथ लाभार्थी और कोई भी अन्य साधारण व्यक्ति जो नियंत्रण स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करता है, शामिल होगी।

घ) एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ डील करने में दूसरे व्यक्ति की जगह नियोजित होता है।

### 32. भुगतान की शर्तें

भुगतान शर्तें इस प्रकार हैं:

कोई भी भुगतान राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पत्रिका की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी की वितरण के बाद ही जारी किया जाएगा। कार्य हेतु सभी भुगतान सांविधिक कटौती के बाद किए जाएंगे।

### 33. संविदा की समाप्ति के मामले में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि संविदा का समापन होता है तो सेवाओं के प्रति भुगतान लागू दंड और टीडीएस /अन्य लागू करों को काटने के पश्चात उस अवधि जिसके लिए वे सेवाएं दी गई हों, के लिए यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

### 34. समनुदेशन

सलाहकार रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के अलावा, अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा या आंशिक रूप से समनुदेश/उप-अनुबंध नहीं करेगा।

### 35. अनुबंध की अवधि

अनुबंध स्वीकृति के बाद दो वर्ष हेतु वैध होगा, जिसे कार्य आदेश/कार्य पूरा होने की तिथि से समान नियमों एवं शर्तों और कार्य-निष्पादन समीक्षा के आधार पर एक और एक वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

[www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) – What's New

**कृपया नोट करें** – अंग्रेजी आरएफपी संस्करण राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट [www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) में What's New हेड पर उपलब्ध है।

*\*किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।*

XXXXXXXXXXXX